कार्यालय–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–प्रारं/नियु.प्रको./नियु–2/982/नवीन भर्ती 48000/वो–2/2022/ दिनांकः 10.09.2023

जरिये ई–मेल

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),
प्रारम्भिक शिक्षा, **समस्त जिले**।

विषयः–प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2022 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य/विशेष शिक्षा) के पदों पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की प्राप्ति/प्रदायगी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बार्ड, जयपुर द्वारा **'प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2022'** के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य तथा विशेष शिक्षा) के पदों पर वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का अन्तिम रूप से चयन कर दिनांकः 31.08.2023 को परिणाम जारी किया गया है। विभाग द्वारा उक्त जारी परिणाम के क्रम में आदेश दिनांकः 10.09.2023 द्वारा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु क्षेत्रवार /पदवार जिले आवण्टित किये गये हैं।

उक्त सीधी भर्ती, 2022 अन्तर्गत अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य/विशेष शिक्षा) के पदों पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इनके आवेदन मय दस्तावेज आवण्टित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को सुपुर्द किये जाने हैं। अतः उक्त बाबत् निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करें :–

1- गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य/विशेष शिक्षा) के पदों हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची (जिनके आवेदन आपके जिले में उपलब्ध हैं) की पदवार सूची एक्सल शीट में संलग्न की जा रही है। प्रत्येक सूची में उल्लिखित अभ्यर्थी के आवेदन मय दस्तावेजों को उनके मेरिट क्रमांक के अनुसार क्रमबद्ध करते हुए आवण्टित जिले के अनुसार पृथक–पृथक बण्डल (पदवार व जिलेवार) बनाये जाएं।

2- चयनोपरान्त जिला आवण्टित प्रत्येक अभ्यर्थी से सम्बन्धित आवेदन पत्र पर मार्कर से उसका मेरिट क्रमांक, चयन वर्ग एवं आवण्टित जिला (आदेश दिनांकः 10.09.2023 के अनुसार) अंकित किया जाये।

3- बिन्दु संख्या–1 के अनुसार तैयार किये जाने वाले पदवार व जिलेवार बण्डल के आवेदन पत्रों के साथ अभ्यर्थियों की नामवार सूची संलग्न करनी अनिवार्य है।

4- **आपके जिले को आवण्टित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़ते हुए**, शेष अन्य जिलों में आवण्टित अभ्यर्थियों के आवेदन मय दस्तावेज निदेशालय स्तर पर आयोजित बैठक में अन्य जिलों को सुपुर्द किये जाने हैं।

5- जिन अभ्यर्थियों का चयन/जिला आवण्टन नहीं हुआ है, उनके आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज आपके कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएं।

6- अध्यापक, लेवल–प्रथम के पद पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी, जिनके द्वारा **उच्च माध्यमिक परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की गई है** (दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा चेकलिस्ट में भरी गई सूचना अनुसार), उनकी सूची (एक्सल व पीडीएफ में) तैयार कर साथ लावें।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.10 1?:00:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687684

7- तत्पश्चात् आपके जिले में उक्त भर्ती अन्तर्गत अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य/विशेष शिक्षा) के आवण्टित समस्त अभ्यर्थियों के आवेदन मय दस्तावेज एवं अभ्यर्थियों की पदवार/नामवार सूची दिनांकः 14.09.2023 को जिला परिषद् कार्यालय को अनिवार्य रूप से सुपुर्द कर दी जाये एवं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक/समुचित समन्वय स्थापित कर विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाये।

8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों में उक्त भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों की जिज्ञासाओं/कठिनाईयों के त्वरित समाधान/मार्गदर्शनार्थ एवं सहयोग हेतु हैल्पलाईन/नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा।

सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा अपने जिले को आवण्टित अभ्यर्थियों के आवेदनों को छोड़ते हुए, शेष अन्य जिलों में आवण्टित अभ्यर्थियों के आवेदन मय दस्तावेजों सहित दिनांकः 13.09.2023 को निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर में स्थित मीटिंग हॉल में प्रातः 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे तथा अन्य जिलों से उनके जिले हेतु आवण्टित अभ्यर्थियों के आवेदन मय दस्तावेज प्राप्त करेंगे तथा उनके जिले से अन्य जिलों में आवण्टित अभ्यर्थियों के आवेदन मय दस्तावेज सम्बन्धित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को सुपुर्द करेंगे। बैठक में उपस्थिति हेतु उक्त समस्त अधिकारियों को तदनुसार उनके क्षेत्राधिकार से निदेशालय, बीकानेर यात्रा हेतु एतद् द्वारा वाहन की अनुमति प्रदान की जाती है।

(काना राम)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद **(समस्त)**।
6. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.10 1?:00:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687684